प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 27.06.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय की गठित टीम द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2026 धारा 191(2),121(1),352,351(3),109 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01.अशोक चौहान 02.शिवकुमार उर्फ नकुल चौहान पुत्रगण कपिलदेव चौहान निवासीगण सिक्टहां 03.राजन कुमार पुत्र विन्ध्याचल चौहान निवासी मरवटिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 27.06.2026 को सिकटहा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 26.06.2026 को वादी हे0का0 श्री अनिल कुमार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा एकराय होकर वादी व वादी के हमराही के ऊपर प्रणघातक हमला कर घायल करने व जान से मारने की धमकी दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 गौतम यादव, हे0का0 नुरुद्दीन खान, का0 चन्द्रेश यादव, का0 मनीष कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 242/2026 धारा 325 बीएनएस व 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता शकील उर्फ मुन्नन पुत्र तफज्जुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 27.06.2026 को नन्दौर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

विदित हो कि दिनाँक 05.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को बालूशासन पुल के पास एक पिकअप गाड़ी में लदे हुए 05 गोवंशीय पशु सड़क के किनारे गिरे हुए मिले थे, जिन्हे क्रुरतापूर्वक बांछकर वध के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें से 01 गोवशींय पशु की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 242/2026 धारा 325 बीएनएस व 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कर दिनांक 06.04.2026 को 03 अभियुक्तों 01. छोटके पासवान 02.कल्लू पासवान 03.बीरु पासवान पुत्रगण निरहू निवासीगण कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर को 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु, 03 अदद मोबाइल के साथ तथा दिनांक दिनांक 14.04.2026 को अभियुक्त रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था।

अभियुक्तगण का विवरण

01. शकील उर्फ मुन्नन पुत्र तफज्जुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी व टीम विवरण- उ0नि0 श्री लाल बिहारी निषाद, का0 जनार्दन प्रसाद,का0 कृष्णानन्द शाह, का0 मोहित कुमार।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 4050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 27.06.2026 को मा0 न्यायालय- सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बखिरा श्री पी0के0 झा द्वारा दिनांक 16.03.2006 को अभियुक्त भीमा पुत्र हकीकुल्लाह उर्फ हकीम निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के पास से 100 किलोग्राम गौमांश व 01 अदद चमड़ा बरामद करते हुए थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री गुलाम मोहम्मद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 85/2006 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनिमय थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 27.06.2026 को मा0 न्यायालय- सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक स्वाट श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा दिनांक 16.04.2018 को अभियुक्त सदाकत हुसैन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के पास से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री चतुर्भुज पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 303/2018 धारा 379/411/41 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 27.06.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्रीमती सलमा उर्फ मोनी पत्नी सबरे आलम उर्फ शेखू निवासी महदेवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 13.08.2018 को अभियुक्तगण 01. वकील उर्फ शकील पुत्र स्व0 सुलेमान 02. बदरे आलम पुत्र वकील उर्फ शकील निवासीगण महदेवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री नमूना प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 213/2018 धारा 323/504 भादवि थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा व प्रत्येक को 1000-1000 रुपये (कुल 2000 रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 96 वाहनों से 1,33,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 96 वाहनों से 1,33,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 10.02.2018 को वादी मुकदमा द्वारा थाना महुली पर अभियुक्त सोनू पुत्र यदुवंश निवासी भगवानपुर पूर्वी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री रणविजय सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 41/2018 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त सोनू उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 363/366 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 माह साधारण कारावास, धारा 366 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।